66

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

16195
25.10.16

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / 				दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, शाहपुर
जिला– भोजपुर

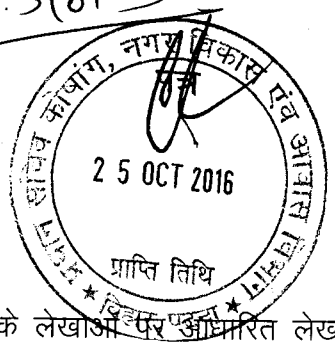

25 OCT 2016
प्राप्ति तिथि

महाशय,

नगर पंचायत्, शाहपुर के वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 289 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

26 OCT 2016
12298

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14600 / 245 				दिनांक– 21.10.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, भोजपुर

21/10/16
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 289/16–17

भाग – I

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर पंचायत, शाहपुर
2. लेखा की अवधि :– 2013–2014 से 2015–16 तक
3. लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किए गए पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 09.06.16 से 15.06.16 तक
5. प्रशासन :–

1) मुख्य पार्षद का नाम **अवधि**

श्री शारदानंद सिंह 01.04.2013 से 04.02.2015

श्रीमति बवीता देवी 05.02.2015 से 31.03.2016 तक

2) उपमुख्य पार्षद का नाम **अवधि**

मुख्तार साह **01.04.2013 से 08.06.2013**

गुप्तेश्वर साह **09.06.2013 से 16.03.2015**

गयानाथ यादव **17.03.2015 से 31.03.2016**

3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी

कम संख्या	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि	
		कब से	कब तक
1	श्री सुरेन्द्र सिंह	01.04.2013	20.11.2014
2	श्री आनन्द प्रकाश	20.11.2014	09.11.2015
3	श्रीमति सीमा गुप्ता	13.11.2015	02.05.2016
4	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	02.05.2016	31.03.2016

6 लेखापरीक्षा दल के सदस्य
   1. श्री तनवीर हसन, व0 ले0 प0 अधिकारी
   2. श्री सुबोध प्रसाद, स0 ले0 प0 अधिकारी
   3. श्री आलोक कुमार, स0 ले0 प0 अधिकारी
   4. श्री मनीष कुमार–II, ले0 परीक्षक
7 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालनः– अप्रस्तुत
8. कार्यपालक से वार्तालाप की गई :– हॉ
9. लेखापरीक्षा का परिणामः–

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि :– शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि :– 207288.00 रू

आपत्ति के अधीन रखी गई राशिः– 4427046.00 रू

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर)

10. अनुदान

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि के प्रारंभ में अव्यवहृत अनुदानों की राशि, अनुदान की प्राप्ति, उपयोग तथा लेखापरीक्षा अवधि के अंत में अव्यवहृत अनुदान की राशि की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। यद्यपि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसांर विभिन्न मदों में वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि में कुल ₹100143070.00 (23264864+ 14924858+ 61953348) प्राप्त हुआ था।

(विवरणी परिशिष्ट– IV पर संलग्न)

अतः अनुदान पंजी का संधारण कराया जाय एवं अवयवहृत अनुदान का यथाशीघ्र उपयोग किया जाय।

11. बजटः–

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यय तब तक नही किया जा सकता जब तक कि उसके लिए बजट में उपबंध न हो। परन्तु नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का बजट नही बनाया गया था। इस प्रकार उक्त वर्षों में किया गया व्यय अप्राधिकत था।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण बजट नहीं बनाया जा सका। वितीय वर्ष 2015–16 से बजट बनाया जा रहा है। अतः अधिनियम के प्रावधान के तहत प्रत्येक वर्ष बजट बनाया जाय एवं बजट के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जाय।

12. वितीय अधिदृश्य–

रोकड़ बही में माहवार व वर्षवार प्राप्ति व व्यय का सार नहीं बनाया गया था। रोकड़ बही में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था। विभिन्न रोकड़ बही में प्राप्ति व व्यय पक्ष में दर्ज प्रविष्टियों को गणना करने के उपरांत अनुसार वित्तीय वर्षों 2013–14 से 2015–16 की अवधि में नगर पंचायत का आय व व्यय निम्न था।

1. कोषागार रोकड़ बही

	वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
1.	प्रारंभिक शेष	13092489	23896298	10599760
2.	वर्ष की प्राप्तियाँः–			
(i)	अनुदान	19038957	13220724	56264294
(ii)	ब्याज	0	0	0
(iii)	अन्य	0	0	0
3.(i+ii+iii)	वर्ष की प्राप्ति	19038957	13220724	56264294
4.(1+3)	कुल प्राप्ति	32131446	37117022	66864054
5.	व्यय			
(i)	योजना	3015562	10604362	13658809
(ii)	विभिन्न मदों के रोकड़ बहियों में स्थानान्तरण	5219586	15912900	14676924
(iii)	अन्य	0	0	0
6.(i+ii+iii)	कुल व्यय	8235148	26517262	38335733
7.(4-6)	अंतशेष	23896298	10599760	38528321

राशि का व्यय सीधे कोषागार से न कर कोषागार से राशि का स्थानान्तरण बैंक खाता में करने के उपरांत किया गया। रोकड़ बही में कोषागार पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था।

2. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

BRGF				
	वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
1.	प्रारंभिक शेष	504864	2009084	1212190
2.	वर्ष की प्राप्तियॉः–			
(i)	अनुदान	1545000	832580	0
(ii)	ब्याज	36208	81167	16881
(iii)	अन्य			
3.(i+ii+iii)	वर्ष की प्राप्ति	1581208	913747	16881
4.(1+3)	कुल प्राप्ति	2086072	2922831	1229071
5.	व्यय			
(i)	योजना	76819	1710000	1209318
(ii)	स्थानान्तरण			
(iii)	अन्य	169	641	.0
6.(i+ii+iii)	कुल व्यय	76988	1710641	1209318
7.(4-6)	अंतशेष	2009084	1212190	19753

3. तेरहवीं वित आयोग अनुदान

	वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
1.	प्रारंभिक शेष	2978657	3711841	106616
2.	वर्ष की प्राप्तियॉः–			
(i)	अनुदान	851184	871554	1294072
(ii)	ब्याज		144325	44625
(iii)	अन्य			
3.(i+ii+iii)	वर्ष की प्राप्ति	851184	1015879	1338697
4.(1+3)	कुल प्राप्ति	3829841	4727720	1445313
5.	व्यय			
(i)	योजना	118000	1021104	1214410
(ii)	स्थानान्तरण		3600000	
(iii)	अन्य			
6.(i+ii+iii)	कुल व्यय	118000	4621104	1214410
7.(4-6)	अंतशेष	3711841	106616	230903

1. वर्ष 2012–13 को अंतशेष ₹1436588.00 था, परंतु अगला रोकड़ बही माह जनवरी 2014 से लिखा गया, जिसमें प्रारंभिक शेष 2978657.00 रू लिया गया। ट्रेजरी एवं बैंक में उपलब्ध राशि की समीक्षा कर जनवरी 2014 से रोकड़ बही रोकड़ बही का संधारण किया गया है। छूटी हुई अवधि की रोकड़ बही आय– व्यय की समीक्षा कर संधारित किया जाय।
2. रोकड़ बही व पासबुक के अंतशेष में अंतर पाया गयाः–

162

खाता संख्या	दिनांक 31.03.16 को अंतशेष		अंतशेष में अंतर
	पासबुक	रोकड़ बही	
31741788316	692238	230902	461336
1710101009725	1924688	1365976	558712

4. चतूर्थ राज्य वित आयोग अनुदान

	वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
1.	प्रारंभिक शेष	3864183	4002000	9858632
2.	वर्ष की प्राप्तियॉः–			
(i)	अनुदान (कोषागार एवं बैंक से स्थानान्तरण)	6180456	10133458	
(ii)	ब्याज			
(iii)	अन्य		3000	
3.(i+ii+iii)	वर्ष की प्राप्ति	6180456	10136458	
4.(1+3)	कुल प्राप्ति	10044639	14138458	9858632
5.	व्यय			
(i)	योजना	6042639	4279826	7899591
(ii)	स्थानान्तरण			
(iii)	अन्य			
6.(i+ii+iii)	कुल व्यय	6042639	4279826	7899591
7.(4-6)	अंतशेष	4002000	9858632	1959041

1. बैंक पासबुक म0 वि0 ग्रा0 बैंक के खाता संख्या– 75122100000066 में दिनांक 31.03.16 को उपलब्ध राशि 1958822.00 रू था, अर्थात 199.00 रू कम था।
2. वर्ष 2013–14 में माह जनवरी 2014 में अंतशेष के रूप में 3864183.00 रू ले कर चला गया। परंतु यह अंतशेष कहॉ से लिया गया, इसकी वस्तुस्थिति लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।
3. वर्ष 2013–14 का कुल व्यय 6042639.00 रू एवं 2014–15 का 376962.00 रू के व्यय की प्रविष्टि कोषागार रोकड़ बही में भी किया गया था। इस प्रकार व्यय राशि 6419601.00 रू की प्रविष्टि दो बार की गई। फलतः व्यय बढ़ा हुआ था, इसे सुधार किया जाय।

5. स्वयं का स्त्रोत

	वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
1.	प्रारंभिक शेष	7254262	8138804	1023523
2.	वर्ष की प्राप्तियॉः–			
(i)	स्वयं का स्त्रोत	223647	115976	5614
(ii)	अनुदान	5219586	4533300	
(iii)	अन्य		348169	66439
3.(i+ii+iii)	वर्ष की प्राप्ति	5443233	4997445	72053
4.(1+3)	कुल प्राप्ति	12697495	13136249	1095576
5.	व्यय			

(i)	योजना	4558191	2647243	
(ii)	स्थानान्तरण			
(iii)	अन्य	500	9465483	
6.(i+ii+iii)	कुल व्यय	4558691	12112726	
7.(4-6)	अंतशेष	8138804	1023523	1095576

1. रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या–27 पर 887866.00 रू अंतशेष था, जबकि वास्तव में अंतशेष 888886 रू होगा।
2. **व्यय राशि का अभिश्रव अप्रस्तुतः**– रोकड़ बही में पृष्ठ संख्या 27 पर 887000.00 रू व्यय स्वरूप समायोजन दिखाकर अंतशेष की राशि 887866.00 रू में घटा दिया गया। परंतु इस राशि के व्यय का अभिश्रव लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय की वस्तुस्थिति से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराये जाने तक राशि 887000.00 रू को आपति के अधीन रखा जाता है।
3. दिनांक 31.03.13 को अंतशेष 7999067.82 रू था, परंतु दिनांक 01.04.13 को प्रारंभिक शेष 7254262.00 रू ले कर चला गया। इसे सुधार किया जाय।

6. <u>स्वयं का स्त्रोत</u> (केनरा बैंक खाता संख्या–1710101009147 एवं ग्रामीण बैंक खाता संख्या–75120100010722)

1.	प्रारंभिक शेष		0	4248009
2.	वर्ष की प्राप्तियॉः–			
(i)	अनुदान		5082266	0.
(ii)	स्वयं का स्त्रोत		1225195	345279
(iii)	स्थानान्तरण		120000	5501416
3.(i+ii+iii)	वर्ष की प्राप्ति		6427461	5846695
4.(1+3)	कुल प्राप्ति		6427461	10094704
5.	व्यय			
(i)	योजना		2179452	9990240
(ii)	स्थानान्तरण			
(iii)	अन्य			
6.(i+ii+iii)	कुल व्यय		2179452	9990240
7.(4-6)	अंतशेष		4248009	104464

रोकड़ बही में दिनांक 31.03.16 को अंतशेष 4464.00 रू था, परंतु प्राप्ति व व्यय को गणना करने के उपरांत रोकड़ बही का वास्तविक अंतशेष 104464.00 रू होगा। इसे सुधार कर लिया जाय।

160

7. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

	वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
1.	प्रारंभिक शेष	2578221	987654	995170
2.	वर्ष की प्राप्तियॉः–			
(i)	अनुदान			
(ii)	ब्याज	41525	7516	6530
(iii)	अन्य	1829723		
3.(i+ii+iii)	वर्ष की प्राप्ति	1871248	7516	6530
4.(1+3)	कुल प्राप्ति	4449469	995170	1001700
5.	व्यय			
(i)	योजना	1632000		
(ii)	स्थानान्तरण	1829723		
(iii)	अन्य	92		
6.(i+ii+iii)	कुल व्यय	3461815		
7..(4-6)	अंतशेष	987654	995170	1001700

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ बही व बैंक पासबुक का अंतर 833550.00 रू (1001700– 168150) था अर्थात बैंक में राशि 833550.00 रू कम है। यद्यपि दिनांक 29.07.08 को रोकड़ बही के अंतशेष के विश्लेषण में 833500.00 रू को अग्रिम में एवं 50.00 रू को कैश इन हैण्ड में दिखाया गया है।

स्पष्ट है कि राशि 8335500.00 रू आठ वर्षों से अधिक समय से समायोजन नहीं किया गया है। संबंधित संचिका व किन्हें अग्रिम प्रदान की गइ से संबंधित जानकारी की मांग करने पर कार्यालय के कर्मियों द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई। कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर समायोजन/वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

8. बारहवीं वित आयोग अनुदान

	वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
1.	प्रारंभिक शेष		395644	367497
2.	वर्ष की प्राप्तियॉः–			
(i)	अनुदान			
(ii)	ब्याज			13380
(iii)	अन्य			1500000
3.(i+ii+iii)	वर्ष की प्राप्ति			1513380
4.(1+3)	कुल प्राप्ति		395644	1880877
5.	व्यय			
(i)	योजना		28147	270652
(ii)	स्थानान्तरण			
(iii)	अन्य			10
6.(i+ii+iii)	कुल व्यय		28147	270662
7.(4-6)	अंतशेष		367497	1610215

पूर्व के रोकड़ बही में 31.03.2013 को अंतशेष 395644.00 रू था, वर्ष 2013–14 में रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया थ। वर्ष 2014–15 से रोकड़ बही का संधारण किया गया, जिसमें प्रारंभिक शेष 208922 रू लिया गया अर्थात 186722.00 रू कम लिया गया।

प्रारंभिक शेष 395644.00 रू एवं प्राप्ति व व्यय को गणना करने के उपरांत दिनांक 31.03.16 को वास्तविक अंतशेष 260215.00 रू होगा, परंतु रोकड़ बही में दिनांक 31.03.16 को अंतशेष 73493.00 रू था। अतः रोकड़ बही की राशि 260215 रू ले कर संधारण किया जाय।

9. चौदहवीं वित आयोग अनुदान

	वर्ष	2015-16
1.	प्रारंभिक शेष	0
2.	वर्ष की प्राप्तियॉः–	
(i)	अनुदान	4287621
(ii)	ब्याज	
(iii)	अन्य	
3.(i+ii+iii)	वर्ष की प्राप्ति	4287621
4.(1+3)	कुल प्राप्ति	4287621
5.	व्यय	
(i)	योजना	2382758
(ii)	स्थानान्तरण	
(iii)	अन्य	
6.(i+ii+iii)	कुल व्यय	2382758
7.(4-6)	अंतशेष	1904863

10. पंचम वित आयोग अनुदान

	वर्ष	2015-16
1.	प्रारंभिक शेष	0
2.	वर्ष की प्राप्तियॉः–	
(i)	अनुदान	7535508
(ii)	ब्याज	
(iii)	अन्य	
3.(i+ii+iii)	वर्ष की प्राप्ति	7535508
4.(1+3)	कुल प्राप्ति	7535508
5.	व्यय	
(i)	योजना	
(ii)	स्थानान्तरण	
(iii)	अन्य	
6.(i+ii+iii)	कुल व्यय	
7.(4-6)	अंतशेष	7535508

58

11. स्वच्छ भारत मिशन

	वर्ष	2015-16
1.	प्रारंभिक शेष	0
2.	वर्ष की प्राप्तियॉः–	
(i)	अनुदान	2249100
(ii)	ब्याज	6028
(iii)	अन्य	
3.(i+ii+iii)	वर्ष की प्राप्ति	2255128
4.(1+3)	कुल प्राप्ति	2255128
5.	व्यय	
(i)	योजना	1317000
(ii)	स्थानान्तरण	0
(iii)	अन्य	229
6.(i+ii+iii)	कुल व्यय	1317229
7.(4-6)	अंतशेष	937899

12. स्वच्छ भारत मिशन (सफाई)

	वर्ष	2015-16
1.	प्रारंभिक शेष	0
2.	वर्ष की प्राप्तियॉः–	
(i)	अनुदान	1640400
(ii)	ब्याज	
(iii)	अन्य	
3.(i+ii+iii)	वर्ष की प्राप्ति	1640400
4.(1+3)	कुल प्राप्ति	1640400
5.	व्यय	
(i)	योजना	1026730
(ii)	स्थानान्तरण	
(iii)	अन्य	
6.(i+ii+iii)	कुल व्यय	1026730
7..(4-6)	अंतशेष	6136670

भाग– II(क)– शून्य

भाग– II(ख)

कण्डिकाः– 1 वसूली गई राशि का कम जमा राशि 12844.00 रू

गृह कर रसीद के जॉच में पाया गया कि कर संग्राहक शत्रुजय पांडेय द्वारा कुल 145768.00 रू वसूल किया गया था। परंतु इनके द्वारा वरीय लिपिक सह रोकड़पाल श्री सुरेन्द्र पाण्डेय के पास सिर्फ 132924.00 रू ही जमा किया गया अर्थात इनके द्वारा राशि 12844.00 रू कम जमा किया गया। वसूली का विवरण निम्न हैः–

रसीद संख्या	वसूली का अवधि	वसूल की गई राशि
1581–1599	28.06.13 से 25.03.14	8829
1701–1800	29.03.14 से 06.02.15	50752
2001–2097	06.02.15 से 02.06.16	86187
	कुल	145768

कार्यालय का जवाबः–कम जमा की गई राशि विविध रसीद संख्या– 891 दिनांक–15.06.16 द्वारा जमा कर दिया गया है।

जमा की गई राशि का बैंक में जमा नहीं दिखाया गया, इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कण्डिकाः–2 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण में व्यय, राशि 33.04 लाख रू

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 मे नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक –02/स्वर्ण–06/08–1113 दिनांक 31.10.12 द्वारा नगर पंचायत शाहपुर को 30 लाख रू की राशि दिनांक–07.12.12 को प्राप्त हुई थी। योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार राशि का व्यय निम्न घटकों में करना थाः–

क्रम सं0	मद का नाम	प्रतिशत	राशि
01	शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (STEPUP)	40 प्रतिशत	1200000.00
02.	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)	20 प्रतिशत	600000.00
03.	शहरी महिलाओ एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP)	20 प्रतिशत	600000.00
04.	शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN)	10 प्रतिशत	300000.00
05	(UWEP)	10 प्रतिशत	300000.00
		कुल	3000000.00

परंतु संचिका के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (STEPUP) घटक में कर्णांकित राशि 12.00 लाख रू के स्थान पर 33.04 लाख रू का व्यय किया गया अर्थात राशि 21.04 लाख रू का व्यय अन्य चार घटकों में कर्णांकित राशि से विचलन कर किया गया।

नगर विकास एवं अवास विभाग, बिहार सरकार, पटना (पत्रांक– 927 दिनांक– 06.09.12) द्वारा निर्देश दिया गया था कि STEPUP के तहत प्रशिक्षण प्रारंभ करने तथा संस्थाओं के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने के पूर्व निम्नलिखित बिंदुओ पर संस्थाओ की जॉच कर ले क्योंकि समयाभाव के कारण संस्थाओं के संबंध में कोई जॉच नहीं किया गया हैः–

1. संस्था को प्रशिक्षण देने का अनुभव हो।
2. प्रशिक्षक को संबंधित व्यवसाय का 3 वर्ष का अनुभव।

3. संस्था को पर्याप्त क्लासरूम, प्रयोगशाला या अन्य अधारभूत सुविधा की उपलब्धता।

4. संस्थाओं को प्रशिक्षण के उपरांत लाभार्थियों को एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

5. प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम 1500 वर्ग फीट का स्थान, प्रतिदिन प्रषिक्षण की अवधि 4 घंटा, कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कम से कम 10 सेट कम्पूटर।

6. संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता।

7. जो प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार के लिए इच्छुक है, उनके आवेदन को संस्था द्वारा बैंक में निकाय के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही विभाग द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि प्रशिक्षण समाप्त होने पर पूर्णतः जॉच कर एवं पूर्णतः संतुष्ट होकर अनुमोदित दर के आधार पर ही नगरपालिका द्वारा संबंधित संस्था को राशि का भुगतान किया जाये।

कार्यालय को प्रशिक्षण हेतु कुल 660 अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ तथा इन्हें चार संस्थओं द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया। विवरण निम्न हैः–

ट्रेड का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या							
	जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र		दुर्गा महिला शिशु कल्याण संस्थान		कृषि एजुककेशनल एण्ड हेल्थ सेव संस्थान		भोजपुर ग्रामीण विकास परिषद	
	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	भुगतेय राशि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	भुगतेय राशि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	भुगतेय राशि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	भुगतेय राशि
कम्पयूटर	110	770000	80	560000	0	0	50	350000
फैशन डिजाईनिंग	20	140000	70	490000	40	280000	30	210000
स्पोकन इंग्लिश	40	160000	30	120000	0	0	30	120000
ब्यूटिशियन	0	0	95	570000	120	720000	40	240000
कुल	170	1070000	275	1740000	160	1000000	150	920000
संस्था को भुगतान की गई राशि		844000		920000		800000		744000

संस्था को प्रदत अग्रिम का विवरणः–

संस्था का नाम	प्रथम अग्रिम			द्वितीय अग्रिम			कुल अग्रिम
	रोकड़ बही की तिथि	चेक संख्या	राशि	रोकड़ बही की तिथि	चेक संख्या	राशि	
भोजपुर ग्रामीण विकास परिषद	24.12.12	864653	372000	04.04.13	864658	372000	744000
जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र	06.02.13	864654	440000	08.04.13	183542	400000	840000

दुर्गा महिला शिशु कल्याण संस्थान	01.03.13	864655	460000	15.04.13	183544	460000	920000
कृषि एजुककेशनल एण्ड हेल्थ सेव संस्थान	02.03.13	864656	400000	02.04.13	864659	400000	800000
			1672000			1632000	3304000

भुगतान का आधारः–

ट्रेड का नाम	प्रति प्रशिक्षाणार्थी का निर्धारित व्यय (प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि हेतु)	कार्यालय द्वारा तय की गई दर	कुल प्रशिक्षाणार्थियों की संख्या	संस्थाओं को भुगतान की जाने वाली राशि	संस्थाओं को भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु लंबित राशि
1	2	3	4	5 (3x4)	6	
कम्पयूटर	6000 से 7000	7000	445	2892500	2991940	3114060
फैशन डिजाईनिंग	5000 से 6000	7000	270	1485000		
स्पोकन इंग्लिश	6000 से 7000	4000	180	1206000		
ब्यूटिशियन		6000	95	522500		
			990	6106000	2991940	3114060

लेखापरीक्षा आपत्तियॉः–

संचिका के जॉच में निम्न अनियमितताएँ पाई गईः–

1. प्रशिक्षण हेतु कर्णांकित राशि 12.00 लाख रू था, परंतु कार्यालय द्वारा इस आवंटन का ध्यान न रख कर 660 युवक/युवतियों को प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया, जिसके लिए प्रशिक्षण की लागत 47.30 लाख रू बनती थी (टूल व किट्स पर व्यय होने वाली अतिरिक्त राशि को छोड़कर), अर्थात राशि 35.30 लाख रू के अतिरिक्त दायित्व का सृजन भी किया गया।
2. विभाग के द्वारा तय लक्ष्य के अनुसर नगर पंचायत द्वारा 200 युवक/युवतियों को ही प्रशिक्षण दिलाया जाना जाना था। परंतु कार्यालय द्वारा अनियमित रूप से 460 अधिक युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिलाया गया।
3. विभाग के दिशानिर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत ही तथा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही संस्था को प्रशिक्षण की राशि का भुगतान किया जाना था, परंतु कार्यालय द्वारा इस दिशानिर्देश का उल्लंघन कर संस्थाओं को प्रथम व द्वितीय अग्रिम के रूप में कुल 33.04 लाख रू का भुगतान किया गया। अग्रिम प्रदान करने से तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, परंतु आज तक संस्थाओं द्वारा विपत्र नहीं दिया गया है तथा कार्यालय द्वारा न ही संस्थाओं को कोई नोटिस दिया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु अग्रिम की मांग की गई थी, उस पर अग्रिम दी गई है।

4. विभाग के दिशानिर्देश का उल्लंधन कर अन्य चार शीर्षों में कर्णांकित राशि 18.00 लाख रू तथा पूर्व की अवशेष राशि, कुल 21.04 लाख रू (33.04– 12.00) का विचलन कर प्रशिक्षण में व्यय किया गया।

   कार्यालय द्वारा जवाब दिया कि जॉचकर कार्रवाई की जायेगी।

5. संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण कराया गया या नहीं एवं यदि कराया गया तो प्रशिक्षण पूर्ण कराया गया या नहीं, इसका कोई साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया।

   कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि संस्थाओं से संबंधित अभिलेख दिया जायेगा।

6. प्रशिक्षणार्थियों को संस्थाओं द्वारा टूल व किट्स उपलब्ध नहीं कराया गया तथा न ही संस्थाओं द्वारा इसके लिए राशि की मांग की गई।

   कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि संस्थाओं से इस संबंध में जानकारी मांगी जायेगी।

7. संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।

   कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि इस संबंध में संस्थाओं से जानकारी प्राप्त की जायेगी।

8. इस योजना के लिए निकाय स्तर पर नगर प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया था। जहॉ नगर प्रबंधक पदस्थापित नहीं है, वहॉ निकाय के नगर कार्यपालक पदाधिकारी को ही यह कार्य करना था एवं नोडल पदाधिकारी इस योजना के सम्पूर्ण कार्य के लिए जिम्मेवार थे तथा इनके द्वारा प्रत्येक स्तर पर कार्य की समीक्ष की जानी थी। परंतु इस संबंध में किसी प्रकार का कोई जॉच/कार्य नहीं पाया गया।

   कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि नोडल पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन अभी नहीं मिल रहा है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।

9. प्रशिक्षण के उपरांत न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रशिक्षाणार्थियों को संस्था द्वारा रोजगार मुहैया कराना था, परंतु एक भी प्रशिक्षाणार्थी को रोजगार मुहैया नहीं कराया गया।

   कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि इस संबंध में संस्था से जानकारी ली जायेगी।

10. प्रशिक्षण कराये जाने के साक्ष्य में प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति पंजी नहीं पाया गया यदि संस्थओं द्वारा कार्यालय को समर्पित किया गया हो तो इसे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कराया जाय।

    कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि इस संबंध में जानकारी ली जायेगी।

11. प्रशिक्षण प्रारंभ कराने से पूर्व संस्थाओं की जॉच विभाग द्वारा तय किये गये उपर्युक्त 11 बिंदुओं पर कराया जाना था, परंतु कार्यालय द्वारा इसकी जॉच किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन/साक्ष्य/दस्तावेज नहीं पाया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि ये संस्थाएँ विभाग के उपर्युक्त शर्तो को पूरा करती हों।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि जॉच प्रतिवेदन अभी नहीं मिल रहा है, इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।

12. अन्य चार घटक शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP), शहरी महिलाओ एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP), शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN) एवं शहरी महिला रोजगार कार्यक्रम (UWEP) की योजनाएँ कियान्वित नहीं की गई।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि जॉचकर कार्रवाई किया जायेगा।

13. सरकार के दिशा निर्देशानुसार सक्षम युवक/युवतियों के आवेदन को कार्यालय द्वारा व्यवसायवार पंजी संधारित करना था, इसे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।

लेखापरीक्षा निष्कर्षः— कार्यालय द्वारा विभाग के दिशानिर्देश का उल्लंघन कर प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति व पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पूर्व ही संस्थाओं को अग्रिम के रूप में 33.04 लाख रू का अनियमित भुगतान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया या नहीं से संबंधित कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं संस्थाओं द्वारा आज तक कोई विपत्र नहीं दिये जाने तथा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने एवं न्यूनतम 30 प्रतिशत को रोजगार मुहैया नहीं कराया जाने से प्रशिक्षण संदिग्ध था तथा प्रशिक्षण का वांछित लाभ अप्राप्त था। अतः इसकी जॉच करायी जाय तब तक प्रशिक्षण पर व्यय राशि 3304000.00 रू को आपति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिकाः— 3 सैरात की बन्दोबस्ती मुद्रांक पर नहीं करने के कारण राजस्व की हानि, राशि 6547.00 रू

राज्य सरकार के पत्र संख्या 1920/आर ई आई मुख्य सचिव दिनांक 14.8.2002 तथा सचिव सह आई0 जी0 निबंधन बिहार के पत्र संख्या 549 दिनांक 13.3.2005 के अनुसार सैरातों की बन्दोबस्ती में बन्दोबस्ती राशि पर 3 प्रतिशत के बराबर मुद्रांक पर बन्दोबस्तीधारी के साथ एकरारनामा किये जाने का प्रावधान है।

परंतु नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए नगर पंचायत के अधीन टैक्सी/मैक्सी स्टैंड की बन्दोबस्ती 221551.00 रू पर श्री हरेन्द्र तिवारी के साथ की गई। परंतु बन्दोबस्ती 3 प्रतिशत के समतुल्य राशि 6647.00 रू के मुद्रांक शुल्क पर नहीं की गई, सिर्फ 100.00 रू का स्टाम्प लिया गया जिसके कारण राज्य सरकार को 6547.00 रू के राजस्व की हानि हुई। इस सैरात की सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण राशि 216000.00 रू पर किस आधार पर किया गया, से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया तथा नगर पंचायत के अधीन कुल कितने सैरात है, से भी लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

कार्यालय का जवाबः—

संबंधित बन्दोबस्तीधारी को नोटिस देकर मुद्रांक शुल्क की राशि जमा कराई जायेगी।

अतः स्टाम्प शुल्क के रूप में हुई हानि 6547.00 रू की वसूली जिम्मवार व्यक्ति से कर राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाय।

152

कण्डिकाः— 4 संचार टावरों का निबंधन नहीं एवं निबंधन व नवीनीकरण शुल्कों की वसूली नहीं किये जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति नहीं, राशि 5.16 लाख रू

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क 30000.00 प्रति टावर एव नवीकरण शुल्क 8000.00 प्रति टावर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 5 के अनुसार कोई भी ऑपरेटर जिनहोनें पूर्व में टावर का अधिष्ठापण किया हो या करना चाहता हो, रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ नगरपालिका को आवेदन देगा।

नियम 6(2) के अनुसार नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों के लिए उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क टावर के स्थापित करने के समय के पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिषत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

नियम 6(6) पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरन्त बाद देय हो जायेगा। अगर पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 6(7) वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप में देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तों 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 12(1) के अनुसार कोई संचालक इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह राशि 5000.00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

संबंधित संचिका के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत मे अधिष्ठापित टावरों व उन पर बकाया राशि निम्न थीः— 31.03.16

क्रमांक	कम्पनी का नाम	वार्ड न0	स्थापना वर्ष	नवीकरण कुल वर्ष	पंजीकरण शुल्क	नवीकरण शुल्क
1	एयर सेल	02	2008	08	30000	56000
2	आईडिया	08	2008	08	30000	56000
3	बी0 एस0 एन0 एल	02	2008	08	30000	56000
4	रिलायन्स कम्यूनिकेसन	02	2008	08	30000	56000
5	टाटा इन्डिकाम	10	2008	08	30000	56000
6	एयर टेल	02	2008	08	30000	56000
कुल					180000	336000

कुल बकाया 516000 (180000+ 336000)

लेखा परीक्षा आपत्तियॉः–

1. नई अधिसूचना के प्रभावी होने पर भी संबंधित ऑपरेटरों द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया तथा न ही कार्यालय द्वारा इस संबंध में जिसके जमीन/मकान पर मोबाईल टावर अधिष्ठापित था को नोटिस दिया गया।
2. नगर पंचायत के मोबाईल टावर के संचिका व कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत 06 मोबाईल टावर अधिष्ठापित तथा इन कम्पनियों द्वारा इनके अधिष्ठापण के वर्ष से ही कोई शुल्क नगर पंचायत कार्यालय को नहीं दिया गया एवं कुल मांग राशि 5.16 लाख रू बकाया के रूप में था।
3. बकाया की वसूली हेतु कोई कानूनी कार्रवाई सहित कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

कार्यालय का जवाबः–

कम्पनियों को नोटिस दिया गया है, जिसके आलोक में एक कम्पनी द्वारा वर्ष 2016–17 में 30000.00 रू जमा किया गया है।

अतः बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय एवं विलंब की अवधि के सूद की गणना कर नया मांग प्रेषित किया जाय।

कण्डिकाः– 5 गृह कर मॉग एवं वसूली की स्थिति

गृह कर माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नगर पंचायत द्वारा नही किया गया था, फलस्वरूप गृह कर की माँग एवं वसूली की सत्यता की जाँच नही की जा सकी। कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार 2013–14 से 2015–16 तक माँग एवं वसूली का विवरणी निम्नवत् था–

क्र0सं0	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	4	5	6
1	प्रारंभिक शेष	176410	327392	473830
2	चालू वर्ष की माँग	220890	222980	223983
3	कुल माँग	397300	550372	697813
4	वसूली	69908	76542	57157
5	अन्तशेष	327392	473830	640656
6	वसूली का प्रतिशत	17.59	13.90	8.19

लेखा परीक्षा टिप्पणियॉः– लेखा परीक्षा के दौरान निम्न आपतियॉ दर्ज की गईः–

1. मकान कर माँग के विरूद्ध वसूली की गयी राशि न्यून थी।
2. 2012–13 से 2015–16 की अवधि में होल्डिंग की संख्या में वृद्धि हुई या नहीं ?
3. गृह कर का पुनरीक्षण किस वर्ष किया गया ?

कार्यालय का जवाबः–

1. कर्मचारियों की कमी के कारण वसूली नहीं हो पाई है। वसूली बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

150

2. इस संबंध में जानकारी अंकेक्षण कार्यालय को दे दी जायेगी।
3. गृह कर का पुनरीक्षण वर्ष 1996 में किया गया था।

अतः वसूली का प्रतिशत बढ़ाया जाय एवं कर का पुनरीक्षण किया जाय।

कण्डिकाः–6 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि का प्रेषण नहीं, राशि 91622 रू

बिहार प्राथमिक शिक्षा उपकर अधिनियम 1959 एवं बिहार स्वास्थय उपकर अधिनियम 1972 के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ उपकर मदों में वसूल की गई राशि का 10 प्रतिशत वसूल शुल्क काटकर सरकारी कोष में संबंधित आय शीर्ष में प्रेषण/जमा कर देना है क्योंकि ये उपकर सरकारी राजस्व है तथा नगर निकाय मात्र इसका वसूलकर्त्ता के रुप में कार्य करता है। लेखा– परीक्षा में उपलब्ध कराये गयें विवरणी के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2015–16 की अवधि में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर में वसूल की गई कुल राशि 1,01,802/– था। परंतु इसमें से 10 प्रतिशत वसूली शुल्क की राशि काटकर शेष राशि 91,622/– रू सरकार को प्रेषित नहीं किया गया। विवरण निम्नवत् है –

वर्ष	शिक्षा उपकर में वसूल की गई राशि	स्वास्थ्य उपकर में वसूल की गई राशि
2013–14	17,477/–	17,477/–
2014–15	19,135/–	19,135/–
2015–16	14,289.25/–	14,289.25/–
	50,901.25/–	50,901.25/–

कार्यालय का जवाबः–

नगर पंचायत की अर्थिक स्थिति सदृढ़ होने पर राशि जमा कर दी जायेगी।

अतः राशि सरकार को प्रेषित किया जाय।

कण्डिकाः–7 वैट की कम कटौती, राशि 88108.00 रू एवं बिना फॉर्म –C-III प्राप्त किये वैट की राशि विक्रेता को भुगतान, राशि 72289.00 रू

योजना संचिकाओं के जॉच में पाया गया कि योजनाओं में क्रय की गई सामग्रियों पर विक्रेता को वैट की राशि के साथ भुगतान किया गया, परंतु विक्रेता से फॉर्म–C-III प्रपत्र नहीं लिया गया। पुनः सामग्रियों पर कटौती योग्य वैट की राशि 165397.00 रू थी लेकिन वैट के रूप में 72289.00 रू ही कटौती की गई अर्थात राशि 88108.00 रू का अधिक भुगतान विक्रेता को कर दिया गया।

कार्यालय का जवाबः–

1. संबंधित आपूर्तिकर्ता से फॉर्म –C-III लेकर अगले अंकेक्षण में दिखा जायेगा।
2. भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।
3. अनुपालन किया जायेगा।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि राशि 88108.00 रू का अधिक भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर दिया गया तथा बिना फॉर्म –C-III लिए राशि 72289.00 रू का वैट के रूप में भुगतान कर दिया गया।